प्रपत्र VI 'A'

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, खूँटी

(जिला भू–अर्जन शाखा)

पत्रांक–571(ii)
दिनांक–31.07.18

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चूंकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम बिरहू थाना–खूँटी थाना सं0 239 अंचल खूँटी जिला खूँटी** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **परियोजना शहरी जलापूर्ति निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम बिरहू थाना–खूँटी थाना सं0 239 अंचल खूँटी जिला खूँटी** के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए कमोबेश 0.0775 एकड़ यानि 0.0313631372736 हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

ग्राम बिरहू थाना– खूँटी थाना सं0 239 अंचल खूँटी का विस्तृत विवरणी

क्र0	खाता संख्या	सर्वे भू–खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए0)	हितबद्व व्यक्ति का नाम एंव पता	सीमा (भू–खण्ड संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	73	3914	तुलसी भोगता वगै0	टांड़ I	0.0775	छेदी भोगता वल्द स्व0 लुबरू प्रधान वो प्रभु प्रधान वो लीबु प्रधान पेशरान स्व0 लुबरू भोगता वो सीताराम प्रधान वो अरूण प्रधान पेशरान स्व0 राम भोगता वो सोहराई प्रधान पिता वो दशरू प्रधान पेशरान स्व0 महाबीर भोगता	उ0–नीज द0–3915, 3918 पू0–रास्ता प0–3911
				कुल	**0.0775**		

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/ नक्शा का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, खूँटी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करते हैं।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/–
उपायुक्त,
खूँटी।